

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन अधिकारी
1. कृष्ण कुमार 2. रणवीर 3. रामकुमार पि. काशीराम जाति जाट निवासी नुकेरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 4. रघुवीरसिंह 5. धीरासिंह पि.
गुरदयाल सिंह 6. जगसीरसिंह पुत्र बोहड़सिंह 7. अमरजीतकौर पत्नी बोहड़सिंह
जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 8.
जगविन्द्रसिंह पुत्र अवतारसिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) - वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह 2. कौरसिंह पि. नन्दसिंह 3. धन्नासिंह 4. नरसिंह 5. सुखदेवसिंह
पि. अमरसिंह 6. सर्वजीतकौर पुत्री दर्शनसिंह 7. सरजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह 8.
बठलसिंह उर्फ बन्तासिंह पुत्र अमरसिंह 9. गुरजन्तसिंह पुत्र मेलासिंह पुत्र
मलसिंह 10. लक्ष्मणसिंह पुत्र जगजीतसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति जटसिख
निवासीगण सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 11.
गगनदीपसिंह पुत्र मेजरसिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख 12. रायसिंह पुत्र
सल्लाराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.) 13. कश्मीरसिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी तिरमाला
रोड़ ढाणी बजीतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) 14. तहसीलदार
(राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 84, 2023

निर्णय दिनांक 23.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह वकील वादीगण तथा राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा. डिक्री/भू.अ./024/3158 दिनांक 22.08.2024 की रिपोर्ट के मुताबिक निम्नानुसार डिक्री दी जाती है -

चक 5 के.एस.डी. खाता सं. 52/39 कुल खाता योग 5.060 है.

(क) कृष्णकुमार 1.327 हि., रणवीर 0.355 हि. एवं रामकुमार 1.101 हि. पि. काशीराम के कब्जा-काश्त की भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/123	26	11, 18 ता 23/.253 है.प्र.
154/124	40	2,3,8,9/.253 है.प्र.

कुल 2.783 है. नहरी कृषि भूमि

(ख) रघुवीरसिंह पुत्र गुरदयालसिंह के कब्जा-काश्त की भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/124	40	11, 19, 20/.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि

(ग) रणधीरसिंह उर्फ धीरासिंह पुत्र गुरदयालसिंह के कब्जा-काश्त की भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/124	40	1, 10, 12/.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. नहरी कृषि भूमि

(घ) जगसीरसिंह पुत्र बोहड़सिंह के कब्जा-काश्त की भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/124	40	21, 22/.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि

(ड) जगविन्द्रसिंह पुत्र अवतारसिंह के कब्जा-काश्त की भूमि -

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/122	25	4/.253 है.

कुल 0.253 है. नहरी कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा.डिक्री/भू.अ./024/3158 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल-दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसुद्ध मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 23.08.24 को जारी की गयी।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया